

राजस्थान उच्च न्यायालय - जयपुर 124/2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	क्रमांक
--------	------------	---------

8-11-21

पत्रावली प्रस्तुत अपील/रेसपो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 8/11/21 को पेश है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 13/11/21 को पेश हो।

13.11.21

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 18/11/21 को पेश हो।

20.11.21

पत्रावली प्रस्तुत अभिल अपील/रेसपो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 20/11/21 को पेश है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 27.11.21 को पेश हो।

27.11.21

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो. उपस्थित अभिभाषक सघ ने आज 27/11/21 को पेश है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 25.12.21 को पेश हो।

25.12.21

पत्रावली पेश। वकील अपील/रेसपो. को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिजल्ट तामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली आते तलबी दिनांक 6.1.22 को पेश हो। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

*[Handwritten signature]*

06.10.22

पत्रावली पेश। वकील अपील/रेसपो. को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील/रेसपो. ने रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील/रेसपो. अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील/रेसपो. आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली केसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तत्काल दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
प्रदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

